कम्प्यूटर परिचय सं०-1415095

पत्र सं0-विधि-4/परिपत्र पत्रावली भाग-3 (2013-14) / 1242 / / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर
(विधि-अनुभाग)
उत्तर प्रदेश
लखनऊ :: दिनांक नवम्बर 28 ,2014

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश

विषय : वार्षिक विवरणी (रूपपत्र 52, 52ए, 52बी)दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाया जाना ।

कृपया मुख्यालय के परिपत्र सं0-विधि-4/परिपत्र पत्रावली भाग-3 (2013-14) /1066/1415087/ वाणिज्य कर दिनांक 30.10.2014 का संदर्भ ले, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 से संबंधित वार्षिक विवरणी (रुपपत्र 52, 52ए, 52 बी) दाखिल करने की अन्तिम तिथि 31.10.2014 से बढ़ाकर दिनांक 30.11.2014 नियत की गयी थी।

विभिन्न टैक्स बार एसोसिएशन के इस आशय के प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि आयकर के आडिट की तिथि 30-11-2014 है। बहुत से मामलों में बैलेन्सशीट तैयार नही हो पाई है। इसके साथ ही आयकर आडिट कराने में चार्टड एकाउन्टेन्ट्स के व्यस्त होने के कारण, फार्म के भरने व उसके XML CONVERT करने में आ रही तकनीकी समस्याओं के दृष्टिगत वार्षिक विवरणी (रुपपत्र 52, 52ए, 52 बी) पूर्व में निर्धारित समय सीमा 30.11.2014 तक दाखिल कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। अन्त में उपरोक्त समस्त कारणों के आधार पर उनके द्वारा वार्षिक विवरणी (रुपपत्र 52, 52ए, 52 बी) दाखिल करने हेतु दिनांक 30.11.2014 के बाद समय बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- जोनल स्तर से भी अधिकारियों द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाए गए हैं कि अभी तक अपेक्षानुरूप वार्षिक विवरणी दाखिल नहीं की गयी हैं , इस कारण अधिकारियों द्वारा भी समय-सीमा बढ़ाए जाने का अनुरोध किया गया है।

3- अत: उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम 45 के उपनियम-7 के तृतीय परन्तुक में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए वित्तीय वर्ष 2013-14 से संबंधित वार्षिक विवरणीं (रुपपत्र 52, 52ए, 52 बी) दाखिल करने हेतु पूर्व में **निर्धारित की गयी तिथि 30.11.2014 को बढ़ाकर दिनांक 31-12-2014 निर्धारित की जाती है।**

कृपया तदनुसार कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने एवं समस्त अधिवक्ता संघों / व्यापारिक संघों को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

28.11.2014
(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश

पृ0प0सं0एवं दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) माननीय अध्यक्ष,उ0प्र0 राज्य वाणिज्य कर सलाहकार समिति, उ0प्र0 शासन ,लखनऊ।

(2)प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग,उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय,लखनऊ।

(3) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना ,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ।

(4) सॅयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, ,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ (दो प्रतियो में)